प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,उत्तराखण्ड

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सामुदायिक विकास योजना से आच्छादित संस्थाये,
उत्तराखण्ड।

पत्रॉक 10809 /आई0आर0डी0टी0/सा0वि0यो0/2016–17 दिनॉक– 28,सितम्बर,2016

विषयः– सामुदायिक विकास योजना के सफल संचालन हेतु दिशानिर्देश ।

महोदय,

आप अवगत ही है कि आप की संस्थाओं में भारत सरकार की सामुदायिक विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के सफल संचालन हेतु सभी संस्थाओं के प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न दिशानिर्देशो के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करे–

1. योजना के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी संस्था के आसपास के 20 गाँव का सर्वेक्षण कर इस बात का डेटावेस तैयार कर ले कि उन गाँवों में किस प्रकार के Training Program, Transfer of Technology, Technical and Support Services एवं Dissemination of Information की आवश्यकता है, तद्नुसार आवश्यकता एवं निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए कार्ययोजना तैयार की जाये। संस्थाओं द्वारा सर्वे की सूचना IRDT Dehradun को उपलब्ध करायी जाना अनिवार्य है।
2. योजना के प्रचार प्रसार हेतु Awareness camps लगाये जाये तथा इनकी सूचना नियमित रूप से IRDT Dehradun को निर्धारित ।।प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित कर ले कि गाँवों में किस प्रकार की Technology की आवश्यकता है,तद्नुसार ही आस–पास से Transfer of Technology की व्यवस्था की जाये। यदि आस–पास Technology उपलब्ध न हो तो वांछित Technology की सूचना IRDT Dehradun को सूचना प्रेषित की जाये ताकि Technology के Transfer हेतु प्रदेश स्तर में उपलब्ध Technical Expert की व्यवस्था की जा सके। प्रत्येक संस्था द्वारा Technology का Transfer किया जाना अनिवार्य है।
4. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संस्था द्वारा कम से कम 05 Technical and Support Services Camp लगाये जाना आवश्यक है। Technical and Support Services की Camp की सूचना नियमित रूप से IRDT Dehradun को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. प्रत्येक संस्था योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तीन Consultant तैनात करेगी–

1-Community Development Consultant

2-Junior Consultant For Extension center

3-Junior Statistical Consultant

तैनाती की सूचना IRDT Dehradun को उपल्बध करायी जायेगी।

6- आप द्वारा संस्था स्तर पर योजना के प्रावधानों के तहत Advisory एवं Expert कमेठी का गठन कर लिया गया होगा अतः प्रत्येक छमाही में Expert की कमेठी की बैठक आयोजित की जाये तथा उसके Minutes IRDT Dehradun एवं **(NITTTR)** चण्डीगढ़ को बैठक होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाये।

7. योजना के अन्तर्गत Self/Wage Employement की स्थिति अत्यन्त चिन्ता जनक है। अतः इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवक एवं युवतियों हेतु रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। रोजगार हेतु विभिन्न औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा निममित रूप से रोजगार मेले का आयोजन किया जाय स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित युवक युवतियों को अवगत कराया जाय ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त वे अपना स्वरोजगार प्रारम्भ कर सके।

8. आर0आर0डी0टी0 की वेब साइड में प्रत्येक माह की 30 तारीख तक प्रशिक्षण एवं रोजगार की सूचना अपलोड कराना आवश्यक है।

कृपया योजना के सफल संचालन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(डा0पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।

पृ0सं0 /आई0आर0डी0टी0/सा0वि0यो0/2016–17 दिनॉक– ,सितम्बर,2016

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ–

1.उप सचिव,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,क0न0–221,विग–सी, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।

2.डा0यू0एन0राय,विभागाध्यक्ष,ग्रामीण अंभियंत्रण विभाग,एम0आई0टी0टी0टी0आर0चण्डीगढ।

(डा0पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।